



अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश शासन के अधिनियम 2011 द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)

ग्राम-मुगलिया कोट, (सूखी सेवनिया) विदिशा रोड, भोपाल (म.प्र.)

दूरभाष : 0755-2558606, वेब स्थल : www.abshv.edu.in

क्रमांक/अकादमी/अविवाहिविवि/2024/86।

भोपाल, दिनांक 2 MAR 2024

अधिसूचना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल की स्थापना मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम क्रमांक -34 दिनांक 15 दिसंबर 2011 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन दिनांक 19 दिसंबर 2011 से की गयी है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए विद्या परिषद का गठन अधिनियम की धारा- 23 (1) (एक) से (पांच) के अंतर्गत निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :-

धारा 23 (1) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(एक) कुलपति जो उसका अध्यक्ष होगा;

प्रो. खेमसिंह डहेरिया, कुलपति

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल

मो.नं.- 9424684608, 9826344608

ई-मेल- khemsingh.daheriya@gmail.com

(दो) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन ऐसे विशेषज्ञ जो अन्य विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे हैं;

1- प्रो. राजेश वर्मा, कुलपति

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

मो.नं.- 9826320557

ई-मेल-

2- डॉ. सचिन शर्मा, प्राध्यापक

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

मो.नं.- 9826604747

ई-मेल- sachin1750@gmail.com

3- डॉ. रूचि घोष, प्राध्यापक

वरकलउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

मो.नं.- 9424418440

ई-मेल- rgdastidarbu@gmail.com

(तीन) विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष, जो तीन से अधिक न हों, जो कुलपति द्वारा चकाकम से नामनिर्दिष्ट किये जाएं; विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे हैं;

1- प्रो. राजीव वर्मा, प्राध्यापक

संकायाध्यक्ष, अविवाहिविवि, भोपाल

मो.नं.- 7999347107

ई-मेल- rajeevverma1067@gmail.com

2- रिक्त

3- रिक्त

वितर ..2..

(चार) विभागाध्यक्षों से भिन्न दो आचार्य, यदि कोई हों; और


- 1- रिक्त
- 2- रिक्त

(पांच) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारीवृन्द का एक सदस्य जो, सह-आचार्य और सहायक आचार्यों का प्रतिनिधित्व करते हों;

- 1- डॉ. चित्रलेखा सोनी (कडेल)
मो.नं.- 9407131374
ई-मेल- chitra.kadel20@gmail.com

विद्या परिषद के कर्तव्य, अधिकार एवं शक्तियां एवं कालावधि अधिनियम की धारा 22, 24 एवं 25 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।

आदेशानुसार


(शैलेन्द्र कुमार जैन)


कुलसचिव

भोपाल, दिनांक : 27 MAR 2024

पृ.क्रमांक...../अकादमी/अधिवाहिवि/2024/862

प्रतिलिपि:

1. समस्त सम्माननीय सदस्य, विद्या परिषद की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजभवन, भोपाल।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. विशेष सहायक माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, म.प्र.शारान, भोपाल।
5. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शारान, मंत्रालय, भोपाल।
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
8. भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली।
9. संचालक तकनीकी शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
10. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
11. कुलपति निजि सचिव की ओर कुलपति जी को सूचनार्थ।
12. कुलसचिव निजि सहायक की ओर कुलसचिव को सूचनार्थ।
13. परीक्षा नियंत्रक/गोपनीय शाखा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी वि.वि. की ओर सूचनार्थ।
14. रामरत अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/प्रभारी अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी वि.वि. की ओर सूचनार्थ।
15. प्रभारी स्थापना शाखा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी वि.वि. की ओर सूचनार्थ।


कुलसचिव

(शैलेन्द्र)